निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दिशानिर्देश

पीएफसी निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को निम्नलिखित के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकता है:

1. **परियोजना मानदंड**
   क) राज्य/निजी डिस्कॉम या किसी अन्य स्वीकार्य सरकारी/निजी एजेंसी(ओं) के साथ स्थिर विद्युत खरीद करार (पीपीए) वाली परियोजनाएं। इसके अतिरिक्त, जहां फीड-इन-टैरिफ को पहले ही एसईआरसी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, लेकिन पीपीए पर हस्ताक्षर होना बाकी है, वहां भी विचार किया जा सकता है।
   ख) कुछ शर्तों के अध्यधीन वे परियोजनाएं जो एसपीवी मार्ग या अंतिम उपभोक्ता तुलन-पत्र के माध्यम से कैप्टिव खपत हेतु स्थापित की जा रही हैं।

2. **वित्त-पोषण की सीमा**
   क) पीएफसी सामान्यतः कुल परियोजना लागत के 50% के वित्तपोषण पर विचार कर सकता है।
   ख) हालांकि, कुछ शर्तों के अध्यधीन, पीएफसी एकमात्र ऋणदाता के रूप में परियोजना को वित्तपोषण अर्थात परियोजना के पूर्ण ऋण घटक (2000 करोड़ रुपए के ऋण तक) प्रदान कर सकता है।

3. **ऋण इक्विटी (डी/ई) अनुपात**
   परियोजना का ऋण इक्विटी अनुपात (डी/ई) 75:25 से अधिक नहीं (अर्थात इक्विटी परियोजना लागत के 25% से कम नहीं) होना चाहिए। तथापि, कुछ शर्तों के अध्यधीन ऋण इक्विटी अनुपात (डी/ई) 75:25 से अधिक और 80:20 तक पर विचार किया जा सकता है (अर्थात इक्विटी परियोजना लागत के 20% से कम नहीं)।

4. **न्यूनतम परियोजना आकार**
   पीएफसी को >= 10 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली परियोजना का वित्तपोषण करना चाहिए।

5. **ऋण की पुनर्भुगतान अवधि**
   ऋण की अधिकतम अवधि (स्थगन अवधि सहित) विद्युत खरीद करार की अवधि या सीईआरसी/एसईआरसी द्वारा यथा परिभाषित परियोजना के आर्थिक जीवन के 80%, जो भी कम हो, तक सीमित होगी। पीएफसी वाणिज्यिक परिचालन तारीख (सीओडी) से 1 वर्ष तक की अवधि के लिए मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु स्थगन की अनुमति प्रदान कर सकता है।

6. **प्रतिभूति**
   क) परिसंपत्ति पर प्रभार
   ख) व्यक्तिगत/निगमित गारंटी, शेयर प्लेज रखने आदि जैसी कोलेटरल प्रतिभूति परियोजना की एकीकृत रेटिंग के आधार पर पीएफसी की मौजूदा नीति के अनुसार प्राप्त की जाएगी।

7. पीएफसी उन सभी मामलों में एलई, एलएफए और एलआईए को नियुक्त करेगा जहां वह परियोजना को एकमात्र ऋणदाता के रूप में वित्तपोषन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, अन्य मामलों में पीएफसी को एलई, एलएफए, एलआईए आदि को नियुक्त करने का अधिकार होगा, जहां कहीं आवश्यक समझा जाए।

****